

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- शम्भू की चौकी से ददउ-पजिया-बनसार ठुरउ तक विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21.11.14 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुभाष चन्द वन क्षेत्राधिकारी कालसी रेंज, एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेश जिनाठा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कनबुआ प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुनीत सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, - हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.8536 हे०, एवं नाप भूमि 5.1464 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन सिविल भूमि में 42 वृक्षों व नाप भूमि पर 458 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


(सुभाष चन्द)
वन क्षेत्राधिकारी
रेंज कालसी


(प्रशान्त सिंह)
वन दरोगा
रेंज कालसी

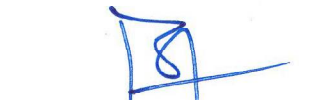

(विनोद कुमार लखेड़ा)
वन बीट अधिकारी
रेंज कालसी

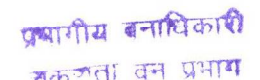

(सुनीत सिंह)
सहायक अभियन्ता
अ०ख०लो०नि०वि० सहिया


(ब्रह्म दत्त)
कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० सहिया


(सुन्दर सिंह)
अमीन
अ०ख० लो०नि०वि० सहिया


District Magistrate
Dehra Dun.


(एम०एस० परमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


प्रभागीय बनाधिकारी
तकसता वन प्रभाग
तकराता (देहरादून)


उप-प्रभागीय बनाधिकारी
तकराता वन प्रभाग
तकराता

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी रीवर राजि डाकपत्थर
पत्रांक- मेमो / 12 डाकपत्थर, दि 0-10 जनवरी 2015

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग,
सहिया।

विषय:- शम्भू की चौकी से दुधऊ पंजियों, बनसार तुरऊ तक प्रस्तावित सर्पक मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण के सम्बंध में।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग के पत्रांक 2170/12-1 दिनांक 1-11-2014,

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके संदर्भित पत्र के अनुपालन में दिनांक 21-11-2014 के कम में शम्भू की चौकी से दुधऊ पंजियों, बनसार तुरऊ तक प्रस्तावित मोटर मार्ग तक का संयुक्त निरीक्षण किया गया उसके पश्चात उसमें बाधित वृक्षों की गणना कर सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

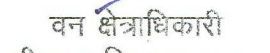
संलग्नक:- 1. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
2. बाधित वृक्षों की गणना सूची
3. बाधित वृक्षों की मूल्यांकन रिपोर्ट

भवदीय


वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

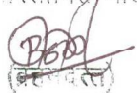
आज दिनांक 21-11-2014 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग के पत्रांक सं० 2170/12-1 दिनांक 11-2014 के अनुपान में शम्भू की चौकी से दधौऊ पंजियाँ बनसार तुरऊ तक कि०मी० 2 से 11 तक प्रस्तावित सर्पक मोटर मार्ग लम्बाई 7.007 कि०मी० व चौड़ाई 7 मी० का निर्माण कार्य हेतु संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए।

- 1- श्री ब्रह्मदत्त कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सहिया।
- 2- श्री सुन्दर सिंह चौहान अमीन लोक निर्माण विभाग सहिया।
- 3- श्री यशपाल सिंह वन दरोगा रीवर रेंज चकराता वन प्रभाग
- 4- श्री विनोद कुमार वन बीट अधिकारी नागथात

लोक निर्माण विभाग, सहिया जिला देहरादून द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग शम्भू की चौकी से दधौऊ पंजियों बनसार तुरऊ सर्पक मार्ग तक पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। उक्त सर्पक मार्ग का पेन्ट से सीमांकन 10 कि०मी० चौड़ाई 7 मी० में किया गया है।

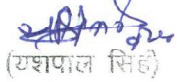
क्र०सं०	भूमि का प्रकार	लम्बाई(मी०में)	चौड़ाई(मी०में)	क्षेत्रफल(हे०में)
1-	सिविल भूमि	2648	7 मी०	18536(1.8536)
2-	नाप भूमि	7352	7 मी०	51471(5.1471)
3-	आरक्षित वन	—	—	—
	योग:-	10000	7 मी०	9.000 है० 7.0007

- 1- प्रस्तावित मोटर मार्ग 10.00 कि०मी० (सिविल, नाप भूमि) है। बाधित वृक्षों की गणना सूची रिपोर्ट पृथक से संलग्न है।
- 2- प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन केवल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किया जाये।
- 3- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- 4- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवा को अनियंत्रित रूप से नहीं फेंका जायेगा, तथा इसके नियन्त्रण हेतु भू-डिस्पोजल प्लान बनाकर उसका अनुपालन करना होगा।
- 5- प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण के उपरान्त भूमि वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- 6- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु याचक विभाग ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त कर वृक्षारोपण क्षेत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 7- प्रस्तावित मोटर मार्ग किसी पाक एवं अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
- 8- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान श्रमिकों को ईंधन आपूर्ति याचक विभाग को करनी होगी।


(ब्रह्मदत्त)

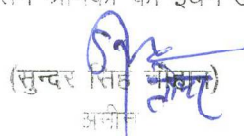
कनिष्ठ अभियन्ता

आ०ख०, लो०नि०, सहिया


(यशपाल सिंह)

वन दरोगा,

चकराता वन प्रभाग

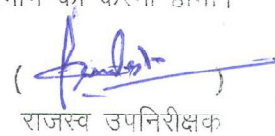

(सुन्दर सिंह चौहान)
अमीन

आ०ख०, लो०नि०, सहिया


(विनोद कुमार)

टोबी०अ०

चकराता वन प्रभाग

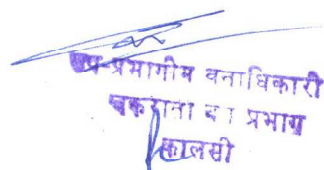

(राजेश)

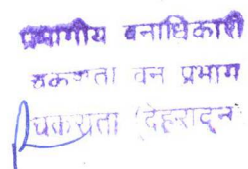
राजस्व उपनिरीक्षक


(सुभाषचन्द्र)

वन क्षेत्राधिकारी

रीवर राजि डाकपत्थर


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून